

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका हुकम में
<p>16-516</p> <p><i>श्रीमती सुशीला शर्मा</i></p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील का उभयपक्ष उपर है। पत्रावली दि० 10-6-16 को कैम्प टोकसी पर राजस्व लोक अदालत में पेश हो।</p> <p>उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०ना०)</p> <p>10-6-16 पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प टोकसी पर पेश हुई। वादी रामधन व प्रतिवादी सहीराम उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादी की स्वतन्त्र भूमि ख० नं० 1237 रकबा 13 एकर ग्राम टोकसी का सीमाजान तहसीलदार की के नेतृत्व में पटवारी हल्का व गिरदावर की टीम से करवा कर वादी को व अन्य पक्षकारों को सीमाजान के चिन्हों से अलग करावे। वादी की भूमि पर यदि सीमाजान में प्रतिवादीराण का कब्जा पाया जाता है तब वह कब्जा नदी छोड़े तो वादी को नया दवा पेश करने की अनुमति दी जावे।</p> <p>पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार न्याय निर्णित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा पंचाडिक्री जारी किया जावे।</p> <p>पत्रावली कैसलशमार टोकर नम्बर से कम हो एवं कद तकमिले दाखिल दफ्तर हो।</p>	<p>यायालय</p> <p>ठासीन 3</p> <p>मधन पुत्र :</p> <p>सहीराम पु रकेव पुत्र कमला प नुकेरी प</p> <p>कदना नं - वादी द में आज होने पर लोक कब्जा में पत्रावली कमला क ह</p> <p>उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी</p>
<p><i>(सतीश कुमार शर्मा)</i> एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p>	<p><i>(रवि कुमार शर्मा)</i> एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p>	<p><i>(मुनिद्वय शादव)</i> अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी</p>

नम्बर
अहक
हुकम
में

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगपुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) टोकसी

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

रामधन पुत्र मुखरा मीना निवासी टोकसी तह0 गंगपुर सिटी

—वादी

बनाम

सहीराम पुत्र बसंता मीना निवासी टोकसी तह0 गंगपुर सिटी
राकेश पुत्र सहीराम मीना निवासी टोकसी तह0 गंगपुर सिटी
कमला पत्नी सहीराम मीना निवासी टोकसी तह0 गंगपुर सिटी
मुकेशी पत्नी राकेश मीना निवासी टोकसी तह0 गंगपुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

कदना नं -64/2014

वादी की ओर से वादी रामधन व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सहीराम की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 10.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए आदेश दिये जाने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगपुर सिटी अपनी अध्यक्षता में एक टीम का गठन कर भूमि ख0न0 1237 रकबा 13 एयर ग्राम टोकसी की भूमि का सीमाज्ञान करावे तथा पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकाराना अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगपुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर के लिए स्टाम्प रुपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

श उपखंड
कसी पर
क्या 13 एयर
के नेतृत्व
से करवा
सीमाज्ञान
पर
जा पाया
तो वादी
जाने
मा स्वीकार
निर्णय किया
रहेगा।
वर से
र हो।
मुनिदेव यादव
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगपुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगपुर सिटी

सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापूर सिटी
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / क्षेत्रीय कोर्ट)
 क्षेत्रीय कोर्ट का स्थान :- गंगापूर सिटी

राजीनामा प्रपत्र

पीठासीन अधिकारी महोदय,

दिनांक 10.6.2016.

रामधन बनाम
 64/14 अन्तर्गत धारा

सहीराम वर्मा
 188 राज. टी. एम.

यह प्रपत्र मे प्रार्थी/वादी श्री रामधन
 कि उक्त उन्वदन का प्रकरण आपके न्यायालय में लभित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो
 गयी है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
 आपकी कृपया निम्नानुसार तय हुआ है :-

मेरा पक्षी का पालतू चूने का पत्र
 1237 नम्बर का 0.13 हेक्टर जमीन-शेखरी का (मामाम) का
 जमीन के क्षेत्र के 12 का (सूचना) न गिराने की शर्त
 पर जमीन का 3 अंश पक्षकारों को हिस्सा करने पर शर्त है कि
 वादी को पक्षी का पत्र का हिस्सा करने पर शर्त है कि
 उक्त जमीन का क्षेत्र के 12 का (सूचना) न गिराने की शर्त
 पर जमीन का 3 अंश पक्षकारों को हिस्सा करने पर शर्त है कि

वामधन

- प्रतिवादी पक्ष 1. सहीराम वर्मा
 2.
 3.
 4.

हस्ताक्षर रामधन
 नाम रामधन
 पता रामधन

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर सहीराम
 (प्रतिवादी पक्ष) नाम सहीराम

यह प्रपत्र के रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबारत को मूना व सम्झ कर सही होना
 पता है। उक्त राजीनामा हस्तखाहिश पक्षकार तत्पक्ष किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(रामधन) (हो सदस्य) (हो सदस्य) (हो सदस्य)
 (सहीराम वर्मा) (सहीराम वर्मा) (सहीराम वर्मा)
 सदस्य सदस्य सदस्य
 लोक अदालत लोक अदालत लोक अदालत
 गंगापूर सिटी गंगापूर सिटी गंगापूर सिटी एवं